न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्याजीसीएमएस नम्बर 2024/659

1. नारायणी पत्नि लालाराम, जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
2. प्रवीण पुत्र रामबहादुर, जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
3. राजाराम पुत्र सोमदत, जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
4. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश, जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
5. विरेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम, जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
6. सुभेराज पुत्र हरीराम,जाति अहीर, निवासी ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
2. नायब तहसीलदार, टपूकडा, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर निर्णय दिनांक 14.07.2020 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर के रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये गये।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–30.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 14.07.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार टपूकडा, जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को ग्राम ततारपुर की आराजी में स्थित कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार तिजारा को प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार तिजारा ने उक्त प्रस्तावित रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर ग्राम ततारपुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 है0 में से 0.06 है0 कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर ने तहसीलदार तिजारा के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 19.03.2020 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 है0 में से 0.06 है0 कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2020 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 14.07.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट नारायणी पत्नि लालाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर दिनांक 14.07.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्टान खातेदारान को कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 है० में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। जैसा कि सम्वत् 1978 मौजा ततारपुर के नक्शे में पूर्ण रूप से साबित है। लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने पूर्व व हाल रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके गत खसरा नम्बर 129 मिन 1 बीघा 4 बिस्वा थे। नक्शा सम्वत् 1978 के आधार पर खसरा नम्बर 129 में कोई रास्ता दर्शाया हुआ नहीं है। खसरा नम्बर 384 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का सलारपुर ने दिनाक 27.01.2020 की रिपोर्ट में भी यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 384 की दक्षिणी पूर्वी डोल पर मौके पर रास्ता चालू है। जबकि रास्ते का जो प्रस्तावित नक्शा ट्रेस बनाया गया है। उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 384 में ही रास्ता दिया गया है। डोल पर से कोई रास्ता नहीं दिया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 426 व 470 की भूमि में ही रास्ता दर्शाया गया है, जो रास्ता उक्त खसरा नम्बर के मध्य जो डोल कायम है उसके दोनों तरफ दर्शाया गया है। साथ ही उक्त रास्ता खसरा नम्बर 386 में होकर खसरा नम्बर 384 में दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खसरा नं0 386 में जो रास्ता दर्शाया गया है उसकी दक्षिण सीमा खसरा नम्बर 385 व 384 की डोल बीच में दर्शायी गयी है लेकिन जो प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है वो केवल मात्र 384 की भूमि में ही दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 326 व 470 की भूमि में जो रास्ता दर्शाया गया है वह डोल के दोनों खसरा नम्बरान की भूमि में होकर दर्शाया गया है, तो ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 384 में से 6 एयर का रास्ता दर्शाया जाना से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 385 के खातेदार को लाभ पहुंचाने की वजह से पटवारी हल्का द्वारा यह कार्यवाही की गई है।

विद्वान तहत् न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि नायब तहसीलदार, तिजारा के पत्रांक भू–अभिलेख/2018/6928 दिनांक 19.03.2020 के संलग्न समस्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त आदेश पारित किया गया है जबकि नायब तहसीलदार, तिजारा का ऐसा कोई पत्र दिनांक 19.03.2020 को जारी नही किया गया। समस्त कार्यवाही जल्दबाजी में मिन अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की वजह से की गई है। समस्त कार्यवाही पटवारी हल्का के आधार पर की गई है जबकि कानूनन मौका रिपोर्ट के समय समस्त खातेदारान को सूचित कर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा उक्त रिपोर्ट रास्ते सम्बन्धी तैयार करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 384 का रकबा 0.30 है० है। जिसमें से 0.06 है० रास्ते में दर्शायी गयी है। जिससे मिन अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति होती है। प्रस्तावित रास्ते में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त रास्ता खसरा नम्बर 384 में होकर किस रास्ते से मिलता है और कहा पर जा रहा है। लेकिन पटवारी हल्का ने केवलमात्र खसरा नम्बर 385 के खातेदार को लाभ पहुंचाने की वजह से व समस्त कार्यवाही की है।

अपीलाधीन आदेश दिनाक 14.07.2020 या इससे पूर्व विवादित आराजी में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में किसी खातेदार को कोई नोटिस जारी नही किया गया। जबकि मिन अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नं० 384 के खातेदार काश्तकार है। इसके बावजूद भी नोटिस नहीं दिया गया और मिन अपीलान्टान के बाला–बाला राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन कराये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। मिन अपीलान्ट की भूमि खसरा नं० 384 में कोई रास्ता नहीं है। खसरा नं0 384 खाता संख्या 44 और नया खाता संख्या 47 की नकल प्राप्त की तो पता चला कि खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नं0 384 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.06 है० का रास्ता कायम किया गया है जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 19.01.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल 23.01.2023 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया जिन्होने अपील करने की सलाह दी। मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से अपील पेश करने का निवेदन किया जिन्होने अपील तैयार कर बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनाक 14.07.2020 की जानकारी दिनाक 19.01.2023 व नकल मिलने की दिनाक 23.1.2023 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर दिनांक 14.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नायब तहसीलदार टपूकडा, जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को ग्राम ततारपुर की आराजी में स्थित कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार तिजारा को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार तिजारा ने उक्त प्रस्तावित रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर ग्राम ततारपुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 है0 में से 0.06 है0 कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर ने तहसीलदार तिजारा के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 19.03.2020 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 384 रकबा 0.30 है0 में से 0.06 है0 कदीमी आम रास्ते को सार्वजनिक हित एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2020 पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2020 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.01.2023 से होना अंकित किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पटवारी हल्का सलारपुर की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 385 के उत्तर–पश्चिमी कोने से रास्ता मौके पर चालू बताया है नायब तहसीलदार, तहसीलदार की रिपोर्ट तथा उपखण्ड अधिकारी के आदेश में भी खसरा नम्बर 385 में से 0.06 हैक्टै0 भूमि रास्ते हेतु अंकित की गई है किन्तु राजस्व नक्शे में रास्ता पूर्ण रूप से खसरा नम्बर 384 में से अंकित किया गया है। राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 385 में से रास्ता नहीं दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा तैयार किया गया राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण है। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, हाल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

जिला खैरथल तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, हाल जिला खैरथल तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर